

फा.सं. 27/25/2009-एस. आर. (एस.)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

लोक नायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली - 110003
दिनांक 9 जून, 2010

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ ।


मुख्य सचिव,
उत्तरांचल सरकार,
देहरादून ।

विषय:- दाम्पत्य नीति से आच्छदित प्रकरणों पर राज्य परामर्शीय समिति की दिनांक 17/11/2009 को आयोजित बैठक में विचार ।

महोदय,

इस विभाग के समसंख्यक पत्रांक 23 अप्रैल, 2010 के तहत जारी किए गए पत्र का आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित कार्मिकों का आवंटन दाम्पत्य नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड परिशोधित किया जाता है :

- (1) डा0 मीनाक्षी जोशी, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, जिला महिला चिकित्सालय, देहरादून ।
- (2) श्री संजय कुमार गोयल, अन्वेषक कम संगणक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरखेडा, पीलीभीत (उत्तर प्रदेश काडर में होने की पुष्टि के उपरान्त लागू)।
- (3) शेष मामले अपरिवर्तित रहेंगे ।
- (4) असुविधा के लिए खेद है।



भवदीय
(वी0 पेददन्ना)
उप सचिव, भारत सरकार

प्रति:-

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश पुर्नगठन समन्वय विभाग, सातवां तल, विकास भवन, जनपद, लखनऊ ।
2. प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड पुर्नगठन समन्वय विभाग, देहरादून ।

838
9/6/2010